

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1250 / 2022

दिनांक 08.04.2022

श्रीमती यारिमन खान (RJ1089), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर को दिनांक 07.03.2022 से 09.03.2022 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 06.03.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती खान की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

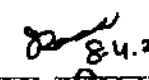
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 08.04.2022

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/77/2016/2761

दिनांक 08.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता को उनके पत्रांक 1446 दिनांक 14.03.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती यारिमन खान (RJ1089), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।


सहायक रजिस्ट्रार